बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से राज्य के आगामी बजट हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री,बिहार को विस्तृत ज्ञापन समर्पित

दिनांक 04-02-2013 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने आगामी बिहार बजट के संदर्भ में उद्योग एवं व्यापार जगत से सुझाव प्राप्त करने हेतु मुख्य सचिवालय के सभागार में एक बैठक आयोजित किया ।

उक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, वैट सब कमिटी के चेयरमैन श्री डी० पी० लोहिया, इंडस्ट्री सब कमिटी के चेयरमैन श्री सुभाष पटवारी, एनर्जी सब कमिटी के चेयरमैन श्री संजीव कुमार चौधरी एवं श्री मोहन हिम्मतसिंगीका सम्मिलित हुए ।

अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उद्योग से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं पर माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया । वैट सब कमिटी के चेयरमैन श्री डी० पी० लोहिया ने वैट से संबंधित समस्याओं को रखा । इंडस्ट्री सब कमिटी के चेयरमैन श्री सुभाष पटवारी ने उद्योग से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख समस्याओं को रखा । एनर्जी सब कमिटी के चेयरमैन श्री संजीव कुमार चौधरी ने उर्जा से संबंधित समस्याओं को रखा ।

चैम्बर द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री को समर्पित विस्तृत ज्ञापन आपके अवलोकनाथ निम्न है :–

वर्ष 2013-2014 के वार्षिक आय–व्ययक के लिये माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04-02-2013 को आयोजित बजट पूर्व विमर्श के लिये बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज का ज्ञापन

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. **बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध मे**

   बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने की आवश्यकता है जिससे समय पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो सके । 2012-13 के बजट में उद्योगों के प्रोत्साहन राशि हेतु 300 करोड़ का तथा Food Processing के प्रोत्साहन के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन उद्योगों को प्रोत्साहन राशि का वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि Fund का अभाव हो गया है । इसलिए निवेदन करना है कि इस राशि को 2013-14 के बजट में कम से कम दूगना किया जाय ।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका 3 (iii) के अन्तर्गत निबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केन्द्रित कर एक प्रतिशत देय होने का प्रावधान 01.07.2011 से किया गया है लेकिन वाणिज्य–कर की अधिसूचना नहीं होने के कारण सूक्ष्म उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि MSME हेतु वाणिज्य–कर विभाग द्वारा S.O. 146 दिनांक–12.10.2006 द्वारा नोटिफिकेशन किया गया है ।

क्रमशः.....2

3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका 3(ii) (ख) के अन्तर्गत नई औद्योगिक ईकाईयों को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् विद्युत शुल्क में 7 (सात) वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्त्ति देने का प्रावधान किया गया है लेकिन इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा नोटिफिकेशन नहीं होने से यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है ।

4. **<u>गत बजटीय घोषणाओं को लागू करने के सम्बन्ध में</u>**

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित जो घोषणायें की गई हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण घोषणायें पूर्ण होने बाकी हैं जो निम्नवत हैं :–

(क) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।

(ख) उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि ।

5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।

– पर्यटन संबंधी उद्योग
– सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
– उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान
– इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग
– वस्त्र उद्योग
– उर्जा / गैर–पारम्पिरिक उर्जा

इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।

यहॉ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है ।

6. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट,पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियॉ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो ।

7. **<u>PSC/PCC Poles पर वैट दर कम कर इस उद्योग को बचाने के सम्बन्ध में</u>**

बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole)बनाने की लगभग 40 फैक्ट्रीयॉ

क्रमशः.....3

कार्यरत है लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole की खरीद पर 13.5% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की कर देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11.5% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के निर्माण में लगी इकाईयॉ बूरी तरह से प्रभावित हो रही है । सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों मुख्यत: पश्चिम बंगाल के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13.5% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । अत: अनुरोध है कि PSC Poleपर वैट को 13.5%के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाईयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके । इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहते हैं कि 5% कर करने के बाद भी इससे संबंधित उद्योगों को वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के उपरान्त भी अतिरिक्त वैट पेमेन्ट करना पड़ेगा क्योंकि Out put tax payable, Input tax credit से ज्यादा होगा । इससे संबंधित एक गणना विभाग को भी समर्पित की गई है जिसकी प्रति संलग्न है ।

8. <u>आधुनिक प्रयोगशाला</u>

राज्य में आधुनिक प्रयोगशाला एक भी नहीं है फलस्वरूप आवश्यकता होने पर राज्य के बाहर प्रयोगशाला में खाद्य–सामग्री जॉच हेतु भेजना पड़ता है । अत: चैम्बर का सुझाव है कि राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाए जहॉ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जॉच कराया जा सके ।

9. <u>सामग्री–खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना</u>

राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति लागू है मगर इसका लाभ राज्य के औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अत: आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

10. <u>उद्योग के उपयोग हेतु भूमि के समुचित उपलब्धता का अनुरोध</u>

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू–भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेटस की स्थापना द्वारा ।

क्रमश:.....4

- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।
- निजी औद्योगिक प्रांगणों को प्रमोट करने हेतु नीति बनायी जाए, औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचित करे ताकि भूस्वामी उक्त जमीन का उपयोग स्वयं के उद्योग के लिए अथवा किसी प्रमोटर के हाथ औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु बिक्रय कर सकें ।

इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में **''आओ बिहार योजना''** की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था ।

भू–अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के

स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहॉ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि बिक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा ।

11. **Single Window System को कारगर करने हेतु**

नये उद्योग लगाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा Project अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों का Clearance लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि SIPB Approved Projects को SingleWindowपर सभी विभागों का Clearance प्राप्त हो जाये ।

12. **प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि को On Line Credit करने के सम्बन्ध में**

उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

13. **रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :**

सरकार ने औद्योगिक रूग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रूग्न इकाईयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि रूग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।

रूग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।

अत: आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

क्रमश:.....5

14. **पूँजीगत अनुदान की देयता के लिये Plant & Machinery को परिभाषित किया जाना :–**

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 तथा 2011 में पूंजीगत अनुदान प्रोत्साहन सुविधा का प्रावधान है । पूंजीगत अनुदान औद्योगिक ईकाईयों का Plant & Machinery पर किये गये पूंजी निवेश पर निर्धारित किया जाना है । इसलिये इसकी परिभाषा इस प्रकार से की जानी चाहिये कि उद्योग को उत्पादन की स्थिति में लाने के लिये जिन–जिन वस्तुओं का उपयोग Plant & Machinery को स्थापित करने में किया जाता है, उन सभी को सम्मिलित किया जाय, यथा :–

''Plant and Machinery will mean and include all items machinery, equipments, components and apparatus (including Electrical Items, Tools, Dyes & molds) used in the process of production or providing service.

15. **उद्योगों को Compounding की सुविधा**

छोटे व्यवसायियों जिनका वार्षिक सकल आवर्त्त 40 लाख रूपये तक है को Compounding की सुविधा प्रदान की गई है और वे 10000/- रूपया वार्षिक कर का भुगतान कर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जिनका कारोबार काफी छोटा और ऐसे उद्यमियों को भी कर भुगतान में सुविधा प्रदान कर इनका प्रोत्साहन किया जा सकता है ।
अत: चैम्बर का सुझाव है कि एक करोड़ तक के वार्षिक सकल आवर्त्त वाले उद्योगों के लिये 25000/-रूपये वार्षिक कर निर्धारित कर इन्हें भी Compounding की सुविधा प्रदान करने पर सरकार को विचार करना चाहिए ।

16. **राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में**

बिहार राज्य के पूर्ण एवं संतुलित विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग का विकास ही एक मात्र एवं अहम मुद्दा राज्य सरकार के लिये होगा । जबतक राज्य के सभी जिलों में उद्योग के विकास की योजना नहीं बनेगी तबतक निवेशकों को आकर्षित करना कठिन होगा । हम सभी जानते हैं कि राज्य में उद्योग कुछ ही जिलों में सीमित है ।

हमारा सुझाव है कि इस बजट द्वारा वर्त्तमान परिदृश्य को बदलने के लिये शुरूआत की जानी चाहिये । राज्य के वैसे सभी जिलों में जहॉ भूमि की उपलब्धता हो MSME (Micro,Small & Medium Enterprises) का विकास किया जाय । प्राथमिकता उन जिलों को दी जानी चाहिये जहॉ पहले से उद्योग नहीं हैं । यह राज्य के विकास के लिये एक बड़ा कदम होगा । स्मरणीय है कि चैम्बर ने भी भारत सरकार के वित मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को पूर्व की भांति आयकर अधिनियम की धारा 80 1B (5) के अन्तर्गत 5 पॉच वर्षों एवं 3 तीन वर्षों के लिये आयकर में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की कृपा करें ।

विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे

17. **समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना**

उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । हमारा आपसे निवेदन है

क्रमश:.....6

कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने और कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करने की अनुमति दी जाय ।

18. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

19. **<u>बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कारपोरेशन द्वारा AMG/MMG पुन: चार्ज करने के संबंध में</u>**

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत उद्योग को प्राप्त होने वाली सुविधा के प्रतिकूल सचिव, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 07-01-2013 के द्वारा सभी सभी Field Officers को निर्देश दिया है कि AMG/MMG Charge करना प्रारम्भ करें, साथ ही उस पर DPS भी लगाएं क्योंकि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन को सरकार से इस मद में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार का आदेश सरकार के नीतियों के विपरीत है ।

इस सन्दर्भ में हमारा अनुरोध है कि सरकार हर साल विद्युत बोर्ड को 2700 करोड़ दे रही है, अत: उसी पैसे में से AMG/MMG के पैसे का सामंजस्य करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि उद्यमियों/व्यवसायियों को परेशानी न हो ।

20. **<u>पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट</u>**

बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । अतएव होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से जो अब तक छूट प्राप्त नहीं हुई है उसे उद्योग विभाग से निदेशित कराकर विद्युत बोर्ड से वांछित छूट दिलायी जाए ।

21. **<u>बियाडा से संबंधित मुद्दे</u>**

(क) वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री –सह–वित मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि बियाडा में अकार्यरत ईकाईयों को प्रदत्त भूमि के सम्बन्ध में नई Exit Policy एवं Transfer Policy लायी जायेगी और इसका सरलीकरण किया जायगा । इसी प्रकार लीज डीड में भी व्यापक सुधार किया जायेगा । उपरोक्त घोषणाओं को क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है । अतएव इसे शीध्र क्रियान्वित कराया जाय ।

(ख) बियाडा के लीज डीड में अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

क्रमश:.....7

अन्य मुद्दे

22. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लिए जानेवाले सहमति शुल्क को काफी बढ़ा दिया गया है जिसका कुप्रभाव औद्योगिकरण के माहौल पर पड़ना स्वभाविक है ।

जहॉ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सहमति शुल्क 31 जनवरी 2012 के गजट अधिसूचना के पहले लघु उद्योगों के लिए तीन साल की अवधि हेतु 6000/- रूपया लगता था उसके लिए अब 25000 से 55000 रूप्या देय है ।

मध्यम उद्योग के लिए पहले जहॉ तीन साल की अवधि के लिए 15000/- रूपया देय था वहॉ अब 40000 से लेकर 1,40,000/- रूपया तक शुल्क देना पड़ता है ।

इसका कारण यह है कि पहले जहॉ लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योग को कैटोगरी के अनुसार शुल्क लगता था वही अब Fix Assets (Land, Building, Plant & Machinery) के पूंजी निवेश पर लगता है ।

अत: सरकार को इस अत्यधिक वृद्धि पर विचार करना चाहिए ।

23. हल्दिया – जगदीशपुर गैस पाईप लाइन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जाय ।

24. **<u>आवास (Housing)</u> :-**

निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय नागरिकों की जवलन्त समस्या आवासीय व्यवस्था की मांग है । सरकार का यह दायित्व है कि ऐसी जनसंख्या के लिये Low cost Housing Scheme का विकास करें । आप अवगत हैं कि 15 लाख तक के गृह निर्माण अग्रिम पर ग्राहकों को 1 प्रतिशत की छूट अनुमान्य है बशर्ते कि Housing Cost 25 लाख रूपये से अधिक न हो । राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि पटना या इसके इर्द–गिर्द दो बेड रूम वाले फ्लैट की कीमत भी 25 लाख रूपये से कहीं ज्यादा है ।

अत: चैम्बर का सुझाव है कि पटना के वैसे इलाके जहॉ आवासीय कोलनी Housing Board द्वारा या राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिये बने कोलनी का विकास PPP Mode पर Low Cost Housing Scheme के तहत करवाया जाय और इस प्रकार से निर्मित फ्लैटों का उपयोग Rental Housing Market के रूप में भी किया जा सकता है । स्वाभाविक है कि जहॉ आवासीय फ्लैट का निर्माण किया जायेगा, वहॉ Commercial Complex भी अपेक्षित होंगे ।

यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार वर्त्तमान वित्तीय स्थिति में आवासीय परियोजना को अपने संसाधनों से मूर्त्त रूप में लाने में पूर्णत: सक्षम नहीं हो पायेगा । अतएव सुझाव है कि इसे PPP Mode से कार्यान्वित कराया जाय । दिल्ली जैसे शहर में DDA (Delhi Development Authorithy) द्वारा जो आवासीय परियोजनायें चलायी जा रही हैं, उसको माडल के रूप में अध्ययन किया जा सकता है और Multistoried आवासीय भवन का निर्माण कराया जा सकता है । आप सहमत होंगे कि केवल पटना में कंकड़बाग, गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर जैसे इलाकों में ही इसे प्रायोगिक रूप में प्रारम्भ कर इस परियोजना की सफलता को आंका जा सकता है । तत्पश्चात् राज्य के अन्य जिलों में इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है । यह राज्य की जनता, खासकर निम्न, मध्य आय वर्ग के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना साबित हो सकती है ।

****